HRA AN UNIVA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

. प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] No. 721

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2008/माघ 26, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2008/MAGHA 26, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिजर्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 25 जनवरी, 2008 सं. फेमा 174/2008-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2008

सा.का.नि. 92 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम, 42) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रवंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातृ:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2008 कहलाएंगे।
 - (2) ये अप्रैल 30, 2007 से लागू समझे जाएंगे ।@
- 2. विनियमावली में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 में विनियम 6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"6. कतिपय अन्य मामलों में, भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलना, रखना और बनाए रखना : (1) भारत के बाहर निगमित कोई नौवहन अथवा विमानन कम्पनी अथवा भारत में उसका कोई एजेंट ऐसे विमानन अथवा नौवहन कम्पनी के भारत में स्थानीय खर्चों के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल, रख और बनाए रख सकता है:

बशतें ऐसे खातों में जमा भारत में भाड़े अथवा विदेश के किराए की वसूली अथवा भारत के बाहर इसके कार्यालय से सामान्य वैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण द्वारा और एजेंट के मामले में भारत के बाहर उसके प्रिंसिपल से की जाती है।

(2) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी, रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्गमित निदेशों के अधीन भारत के जहाज श्रमिक/कर्मीदल का प्रबंध करने वाली एजेंसियों को उनके कारोबार की सामान्य अविध में लेनदेन करने के लिए भारत में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दें।"

> [फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

- (1) @यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - (2) मूल विनियम मई 5, 2000 को सं. सा.का.नि. 393(अ), द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए--
- (क) सा.का.नि. 675(अ) दिनांक अगस्त 25, 2000
- (ख) सा.का.नि. 89(अ) दिनांक फरवरी 12, 2001
- (ग) सा.का.नि. 103(अ) दिनांक फरवरी 19, 2001

- (घ) सा.का.नि. 200(अ) दिनांक मार्च 21, 2001
- (ङ) सा.का.नि. 5(अ) दिनांक जनवरी 2, 2002
- (च) सा.का.नि. 261(अ) दिनांक अप्रैल 9; 2002
- (छ) सा.का.नि. 465(अ) दिनांक जुलाई 2, 2002
- (ज) सा.का.नि. 474(अ) दिनांक जुलाई 8, 2002
- (झ) सा.का.नि. 755(अ) दिनांक नवम्बर, 8, 2002
- (ञ) सा.का.नि. 756(अ) दिनांक नवम्बर 8, 2002
- (ट) सा.का.नि. 224(अ) दिनांक मार्च 18, 2003
- (ठ) सा.का.नि. 398(अ) दिनांक मई 14, 2003
- (ड) सा.का.नि. 452(अ) दिनांक जून 3, 2003
- (ढ) सा.का.नि. 453(अ) दिनांक जून 4, 2003
- (ण) सा.का.नि. 11(अ) दिनांक जनवरी 7, 2004
- (त) सा.का.नि. 13(अ) दिनांक जनवरी 7, 2004
- (थ) सा.का.नि. 209(अ) दिनांक मार्च 23, 2004, और
- (दं) सा.का.नि. 455(अ) दिनांक जून 30, 2007

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2008

No. FEMA. 174/2008-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Amendment) Regulations, 2008

- G.S.R. 92 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (c) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), Reserve Bank of India makes the following amendment to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, Notification No. FEMA. 10/2000-RB dated 3rd May, 2000 as amended from time to time, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India (Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) They shall be deemed to have come into force with effect from April 30, 2007. @
- 2. Amendment of the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2000, Regulation 6 shall be substituted by the following, namely:—

- "6. Opening, holding and maintaining a Foreign Currency Account in India in certain other cases:
- (1) A shipping or airline company incorporated outside India or its agent in India, may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with an authorized dealer in India for meeting the local expenses in India of such airline or shipping company:

Provided that the credits to such accounts are only by way of freight or passage fare collections in India or by inward remittances through normal banking channels from its office outside India and, in the case of agent, from his principal outside India.

(2) An authorized dealer in India may, subject to the directions as may be issued by the Reserve Bank, allow ship-manning/crew managing agencies in India to open and maintain non-interest bearing foreign currency accounts in India for the purpose of undertaking transactions in the ordinary course of their business."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note:

- 1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
- 2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 393(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide
 - (a) G.S.R. 675(E) dated August 25, 2000
 - (b) G.S.R. 89(E) dated February 12, 2001
 - (c) G.S.R. 103(E) dated February 19, 2001
 - (d) G.S.R. 200(E) dated March 21, 2001
 - (e) G.S.R. 5(E) dated January 2, 2002
 - (f) G.S.R. 261 (E) dated April 9, 2002
 - (g) G.S.R. 465(E) dated July 2, 2002
 - (h) G.S.R. 474(E) dated July 8, 2002
 - (i) G.S.R. 755(E) dated November 8, 2002
 - (j) G.S.R. 756(E) dated November 8, 2002
 - (k) G.S.R. 224(E) dated March 18, 2003
 - (l) G.S.R. 398(E) dated May 14, 2003
 - (m) G.S.R. 452(E) dated June 3, 2003(n) G.S.R. 453(E) dated June 4, 2003
 - (o) G.S.R. 11 (E) dated January 7, 2004
 - (p) G.S.R. 13(E) dated January 7, 2004
 - (q) G.S.R. 209(E) dated March 23, 2004
 - (r) G.S.R. 455(E) dated June 30, 2007